न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / सीलिंग / 5843 / 2006 / बूँदी

1– बालू पुत्र कल्याण

2– पुष्पा बाई पुत्री कल्याण

समस्त जाति मीणा निवासी छापरड़ा तहसील व जिला बून्दी।

– अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार

– रेस्पोडेण्ट

एकल पीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री अरूण प्रजापति, उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30–1–2025

यह अपील राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 23–ए के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सीलिंग) बून्दी के निर्णय दिनांक 23–5–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक जिलाधीश, बून्दी (प्राधिकृत अधिकारी) ने अपने निर्णय दिनांक 20–7–1972 द्वारा अपीलांट की 80 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये। तदुपरान्त राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 30 (ई) के तहत् अपीलांट / भूमिधारी को विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलांट को अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के तहत् नोटिस दिया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय दिनांक 20–7–1972 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 3–ख के अनुसार नहीं होने से आदेश दिनांक 5–7–1982 द्वारा राजस्थान सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के तहत प्रकरण को रिओपन करने का आदेश

दिया गया। जिस पर उन्होंने प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 23–5–2006 के द्वारा भूमि अधिग्रहण की जाकर कब्जे राज लेने एवं सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), बून्दी के उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है। कल्याण भूमिधारी, जो कि अपीलांट्स के पिता है, का देहान्त काफी समय पूर्व लगभग बीस वर्ष पूर्व ही हो चुका है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स भूमिधारी कल्याण के वारिसान है, जिन्हें निर्णय पारित किये जाने से पूर्व रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20–7–1972 अवैधानिक रूप से पारित कर भूमिधारी की 80 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहित करने के आदेश दिए गए थे। भूमिधारी द्वारा अपनी पुत्री पुष्पा को कन्यादान में 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि दे दी गई थी एवं 53 बीघा अपने पुत्र बालूराम को बंटवारे में दी गई थी। तब से ही उक्त आराजीयात अलग–अलग हिस्सेदारान के कब्जे में थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 20–7–1972 में औपचारिक रूप से भूमि आकलन कमाण्ड एरिया भूमि मानकर किया है, जो कि अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार करते अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), बूंदी का निर्णय दिनांक 23–5–2006 को निरस्त किया जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रकरण रिओपन कर सीलिंग सीमा से भूमि अधिक पाये जाने के कारण ही अधिग्रहण कर भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। ऐसे विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः द्वितीय अपील खारिज की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहायक जिलाधीश, बून्दी के निर्णय दिनांक 20–7–1972 द्वारा अपीलाण्ट की भूमि में से 80 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिए। तत्पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में आने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 30 (ई) के तहत् अपीलांट/भूमिधारी को विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने के कारण राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के तहत जिलाधीश, बून्दी को निर्देश दिए कि कथित सीलिंग प्रकरण को रिऑपर कर वर्णित बिन्दुओं की जांच कर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बूंदी द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी भूमिधारी को तलब किया गया। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, बून्दी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–5–2006 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश दिनांक 20–7–1972 द्वारा अधिग्रहित भूमि रकबा 80 बीघा 18 बिस्वा का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को 15 दिवस का अवसर दिया जाकर भूमि अधिग्रहित की जाकर कब्जे राज लेने एवं सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रकरण को रिओपन किए जाने से विधिवत जांच कर परिवार के सदस्यों की चार मानी गई है क्यों कि विवाहित पुत्री को भूमि देने का रिकार्ड पेश नहीं होने के कारण उसे मान्यता नहीं देकर 80 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किए है। जिसे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान कर भूमि अधिग्रहण कर कब्जे राज लेने एवं सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित किए है । ऐसे विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है । उक्त विवेचन व विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2006 में कोई ऐसी विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। अतः अपील निरस्त योग्य है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य